दिल्ली उच्च न्यायालय: नई दिल्ली

आरक्षित तिथि: 12.01.2024

उद्घोषित तिथि: 28.02.2024

<u>जमानत आवेदन 3148/2021</u>

विश्वजीत सिंह .....याचिकाकर्ता

द्वारा: श्री सत्य भूषण, अधिवक्ता

बनाम

राज्य (रा.रा.क्षे. दिल्ली) .....प्रत्यर्थी

द्वारा: श्री अमन उस्मन, अति.लो.अभि.
सह उप.नि. महेश, थाना बदरपुर,
नि. जगजीवन राम

जमानत आवेदन 2382/2023

देव कुमार उर्फ गोलू .....याचिकाकर्ता

द्वारा: श्री सत्यभूषण, अधिवक्ता

बनाम

राज्य (रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार) ..... प्रत्यर्थी

द्वारा: श्री अमन उस्मन, अति.लो.अभि.
सह उप.नि. महेश, थाना बदरपुर,
नि. जगजीवन राम

कोरमः

मननीय न्यायमूर्ति श्री नवीन चावला

<u>निर्णय</u>

1. ये आवेदन दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (संक्षेप में 'दं.प्र.सं.') की धारा 439 सहपठित धारा 482 के तहत दायर किए गए हैं, जिसमें स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (संक्षेप में, 'एनडीपीएस अधिनियम') की धारा 20/61/85 के तहत थाना बदरपुर, दक्षिण-पूर्व जिला, नई दिल्ली में दर्ज प्राथमिकी सं. 564/2020 एवं विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश-04, विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस अधिनियम), दक्षिण-पूर्व जिला, साकेत न्यायालय, नई दिल्ली (एतद्पश्चात् विचारण न्यायालय से संदर्भित) न्यायालय के समक्ष निर्णयनिर्णयन हेतु लंबित परिणामी आपराधिक मामला, एससी सं. 267/2021 शीर्षक ***राज्य बनाम विश्वजीत सिंह आदि*** में अभियुक्तगण/आवेदकगण को जमानत दिए जाने की मांग की गई है।

2. चूंकि दोनों ही आवेदकगण उक्त प्राथमिकी में सह-अभियुक्त के रूप में प्रस्तुत किये गये हैं तथा जमानत मांगने के लिये समन अभिवचन किये है, इन आवेदनों पर सामन्य निर्णय के माध्यम से इस न्यायालय द्वारा निपटान एवं विचार किया जा रहा है।

<u>अभियोजन पक्ष का मामलाः</u>

3. अभियोजन पक्ष का मामला यह है कि दिनांक 02.12.2020 को, लगभग 8:30 बजे, हेड कांस्टेबल मन मोहन ने उप-निरीक्षक वीरेंद्र एवं हेड कांस्टेबल विंध्याचल ने दो लोगों को पकड़ा जो फरीदाबाद से बदरपुर की ओर पैदल आ रहे थे तथा अपनी पीठ पर बैग ले जा रहे थे। अभियुक्त विश्वजीत सिंह द्वारा थामे लाल रंग के बैग तथा अभियुक्त देव कुमार द्वारा थामे काले रंग के बैग की जांच के दौरान, उक्त बैग में से प्रत्येक में भूरे रंग के छह पैकेट बरामद हुये थे। यह प्रस्तुत किया गया है कि भूरे रंग के पैकेटों की जांच करने पर सभी पैकेटों में गांजा(कैनबिस) जैसा पदार्थ पाया गया, इसलिए पकड़े जाने तथा स्वापक पदार्थ की बरामदगी के संबंध में एचसी मन मोहन द्वारा थाना बदरपुर को सूचित किया गया, जो डीडी सं. 64क पर विधिवत अभिलिखित है। इसे आगे की आवश्यक कार्रवाई हेतु उप.नि. जगजीवन राम को सुपुर्द कर दिया गया।

4. अभियोजन पक्ष का आरोप है कि उप.नि. जगजीवन राम के साथ कांस्टेबल राजेश के साथ बदरपुर पिकेट पहुंचे, जहां अभियुक्तगण को उनके बैग में बरामद स्वापक पदार्थ के साथ उप.नि. जगजीवन राम को सौंप दिया गया।

5. यह आरोप लगाया गया है कि एनडीपीएस अधिनियम की धारा 50 के तहत नोटिस की तामिल दोनों आवेदकों को की गयी थी। एसीपी/स्पेशल डिवीजन, बदरपुर को इस बारे में जानकारी दी गयी जो घटना स्थल पर भी पहुंचे। एसीपी के दिशानिर्देश पर, उप.नि. जगजीवन राम द्वारा दोनों गिरफ्तार व्यक्तियों की पूरी

तरह से जांच की गयी, लेकिन उनके कब्जे से कोई प्रभावी बरामदगी प्राप्त नहीं की गयी।

6. यह आरोप लगाया कि एक स्वतंत्र साक्षी श्री रुपेश गुप्ता को भी जब्ती प्रक्रिया में शामिल किया गया था।

7. आवेदकों को क्रमशः देर रात 2:20 तथा 2:30 बजे दिनांक 03.12.2020 को औपचारिक रूप से गिरफ्तार किया गया। उनके मोबाइल फोन भी जब्त कर लिए गए एवं पुलिस अभिरक्षा में ले लिए गये थे।

8. यह आरोप है कि अभियुक्त विश्वजीत सिंह ने खुलासा किया कि उसने अपने दोस्त सुजीत चौहान के साथ वर्ष 2017 में अवैध गांजे की खरीद/बेच शुरू की थी। यह प्रस्तुत किया जाता है कि उसने यह भी खुलासा किया कि सुजीत चौहान दिल्ली में मनीष नाम के व्यक्ति को गांजे की सप्लाई कर रहा है। यह आरोप लगाया गया है कि उसने आगे खुलासा किया कि दिनांक 02.12.2020 को, मनीष के कहने पर, वह सह-अभियुक्त देव कुमार उर्फ गोलू से भोगल बस स्टैंड पर मिला था, तथा दोनों आगरा कैंट गए थे। रेलवे स्टेशन, जहाँ से उन्होंने रेलवे ट्रैक से गांजे के पैकेटों से भरे दो थैले उठाये।

9. यह आगे आरोप लगाया गया है कि दिनांक 07.12.2020 को, बरामद गांजे को एनडीपीएस अधिनियम की धारा 52क के तहत नमूने लेने के लिए विद्वान ड्यूटी

दंडाधिकारी के सामने पेश किया गया था तथा नमूने लेने की प्रक्रिया एवं अन्य कार्यवाही की गई थी।

10. यह आगे आरोप लगाया गया है कि सह-अभियुक्त सुजीत को एनडीपीएस अधिनियम की धारा 20 के तहत थाना कोतवाली एटा देहात, उत्तर प्रदेश में पंजीकृत प्राथमिकी सं. 30/2021 से उद्भूत एक अन्य मामले में गिरफ्तार किया गया था: जबकि सह-अभियुक्त मनीष को एनडीपीएस अधिनियम की धारा 20 के तहत थाना कोतवाली एटा देहात, उत्तर प्रदेश में पंजीकृत प्राथमिकी सं. 05/2021 से उत्पन्न कार्यवाही के तहत गिरफ्तार किया गया है। स्थिति आख्या इंगित करती है कि दोनों सह-अभियुक्तगण से परि प्रश्न किया जानी बाकी है।

11. अभियोजन पक्ष ने आगे आरोप लगाया कि अभियुक्तगण के मोबाइल नंबरों की सीडीआर प्राप्त की गई थी, तथा सीडीआर विवरणों की जांच के दौरान, यह पता चला कि अभियुक्त विश्वजीत सिंह ने अभियुक्त देव कुमार उर्फ गोलू से दिनांक 02.12.2020 को 9 बार टेलीफोन पर बात की थी। अभियुक्त विश्वजीत सिंह के सीडीआर विवरण से पता चला कि वह नई दिल्ली के भोगल से आगरा छावनी गया था। अभियुक्त की लोकेशन उसके मोबइल नंबर की लोकेशन के अनुसार वह दिनांक 02.12.2020 को सुबह 7:01:32 बजे दिल्ली के भोगल जंगपुरा पर था जबकि दोपहर 01:58:07 बजे वह उत्तर प्रदेश के आगरा कैंट रेलवे स्टेशन पर था। अभियुक्त विश्वजीत सिंह ने मनीष से अपने मोबाइल फोन पर दिनांक 01.10.2020

से 02.12.2020 के बीच 94 बार टेलीफोन पर बात की थी तथा दिनांक 02.12.2020 को उसने कथित रुप से 16 बार बात की थी। यह आरोप लगाया गया है कि मनीष ने बदले में दिनांक 02.12.2020 को 8 बार तथा दिनांक 01.10.2020 से 02.12.2020 के बीच 44 बार अभियुक्त देव कुमार से टेलीफोन पर बात की थी। आरोप है कि अभियुक्तगण के सीडीआर विवरण से पता चलता है कि वे गांजे के पार्सल लाने के लिए मनीष के निर्देश पर दिल्ली से आगरा छावनी गए थे। यह भी आरोप लगाया गया है कि अभियुक्तगण से बरामद प्रतिबंधित पदार्थों के नमूने जांच के लिए एफएसएल, रोहिणी भेजे गए थे तथा आख्या में यह राय दी गई है कि वह वही 'गांजा' (कैनबिस) था।

12. विद्वान विचारण न्यायालय ने दिनांक 07.12.2021 के आदेश के माध्यम से अभियुक्त के खिलाफ एनडीपीएस अधिनियम की धारा 20(ग) सहपठित धारा 29 के तहत आरोप विरचित किये गये।

<u>आवेदकगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता की प्रस्तुतियां:</u>

13. आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि यह अभियोजन पक्ष का ही मामला है कि प्रत्येक आवेदक के कब्जे से कथित रूप से केवल 12 किलोग्राम गांजा बरामद किया गया था। यह एक मध्यवर्ती मात्रा है तथा इसलिए, एनडीपीएस अधिनियम की धारा 37 का प्रावधान, जो वाणिज्यिक मात्राओं पर लागू होता है, आवेदकों के खिलाफ लागू नहीं किया जा सकता है। ***अमरसिंह रामजीभाई बारोट***

बनाम गुजरात राज्य, (2005) 7 एससीसी 550 में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर भरोसा जताया; पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के आप.-वि. 35082-2021 में दिनांक 23.03.2022 शीर्षक ***निर्मला बनाम पंजाब राज्य***; तथा बॉम्बे उच्च न्यायालय के ***सागर नाना बोरकर बनाम महाराष्ट्र राज्य*** मामले में तटस्थ उद्धरण सं. 2023:बीएचसी-एएसः27660, वह प्रस्तुत करते हैं कि केवल इसलिए कि दो व्यक्तियों के पास स्वापक पदार्थ पाए गए थे, उनके खिलाफ एनडीपीएस अधिनियम की धारा 29 लागू नहीं किये जा सकते है, तथा न ही उनमें से प्रत्येक से बरामद की गई मात्रा को एनडीपीएस अधिनियम की धारा 37 कठोरता को आकर्षित करने के लिए इसे एक वाणिज्यिक मात्रा बनाने के लिए जोड़ा जा सकता है।

14. वह आगे प्रस्तुत करते हैं कि कथित सीडीआर, जिसके आधार पर अभियोजन पक्ष द्वारा एनडीपीएस अधिनियम की धारा 29 लागू की जा रही है, वह साक्ष्य में स्वीकार्य नहीं है। वह प्रस्तुत करते हैं कि आवेदक देव राज की व्यक्तिगत खोज से बरामद कथित मोबाइल फोन में अलग-अलग आईएमईआई नंबर थे। वह प्रस्तुत करते हैं कि उक्त आवेदक से मोबाइल फोन की बरामदगी पर भी संदेह है।

15. वह आगे प्रस्तुत करते हैं कि तालाशी और अभिग्रहण सूर्यास्त और सूर्योदय के बीच विश्वास को दर्ज किए बिना की गई थी, जैसा कि एनडीपीएस अधिनियम की धारा 42(1) के तहत आवश्यक है, जिससे तालाशी और अभिग्रहण साक्ष्य में

अस्वीकार्य हो जाती है। उन्होनें ***मोहिंदर सिंह बनाम राज्य, पणजी, गोवा,*** एआईआर 1995 एससी 1157 मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर भरोसा जताया है।

16. वह आगे प्रस्तुत करते हैं कि अभियुक्त व्यक्तियों से कथित रूप से बरामद किए गए पैकेट एचसी मन मोहन द्वारा खोले गए थे, जो एनडीपीएस अधिनियम की धारा 42 के तहत एक सशक्त अधिकारी नहीं हैं, जिससे बरामदगी पर असर पड़ता है एवं जो इस साक्ष्य को अस्वीकार्य बना देता है।

17. वह आगे प्रस्तुत करते हैं कि एनडीपीएस अधिनियम की धारा 52क के तहत यह आवेदन कथित रूप से उप.नि. विवेक गौतम द्वारा बिना इन्वेंट्री के दायर किया गया था न कि बदरपुर थाना प्रभारी अधिकारी द्वारा। वह प्रस्तुत करते हैं कि उप.नि. विवेक गौतम न तो प्रभारी अधिकारी था और न ही अधिनियम की धारा 53 में परिभाषित सशक्त अधिकारी, और न ही वह अधिकारी जिसने मौके पर अभिक्रमण कार्यवाही को अंजाम दिया। इसलिए, वह प्रस्तुत करते हैं कि एनडीपीएस अधिनियम की धारा 52क के तहत की गई कथित कार्यवाही अवैध है। इस संबंध में इस न्यायालय द्वारा ***रोहित बनाम नारकोटिक्स नियंत्रण ब्यूरो*** 2020 एससीसी ऑनलाइन डेल 1584 के निर्णय पर भरोसा जताया गया है।

18. वह आगे प्रस्तुत करते हैं कि आरोप-पत्र में ही कहा गया है कि, हालांकि दिनांक 07.12.2020 को नमूने तैयार किए गए थे, लेकिन मात्र दिनांक

01.04.2021 को ही, इन नमूनों को प्रतिग्रहण करने से एफएसएल के इनकार करने पर, उन्हें विद्वान महानगर दंडाधिकारी के हस्ताक्षर हेतु विद्वान महानगर दंडाधिकारी के सामने पेश किया गया था। वह प्रस्तुत करते हैं कि आरोप पत्र आगे यह अभिलिखित करता है कि विद्वान महानगर दंडाधिकारी ने जमानत आवेदन के नमूनों पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया। वह प्रस्तुत करते हैं कि, इसलिए, यह दिखाने के लिए अभिलेख पर कुछ भी नहीं है कि कैसे बाद में विद्वान महानगर दंडाधिकारी के हस्ताक्षर के बिना नमूने एफएसएल के साथ जमा किए गए थे।

19. वह प्रस्तुत करते हैं कि प्रतिबंधित पदार्थ की कथित बरामदगी और नमूने लेने के लिए विद्वान महानगर दंडाधिकारी के समक्ष पेश किए गए पदार्थ के साथ कोई आपत्तिजनक संबंध नहीं है। मालखाना रजिस्टर को अभिलेख पर नहीं रखा गया है। समर्थन में, उन्होनें ***वलसला बनाम केरल राज्य एआईआर*** (1994) एससी 117 तथा ***राजस्थान राज्य बनाम गुरमैल सिंह*** (2005) 3 एससीसी 59 में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों पर भरोसा किया है।

20. वह आगे प्रस्तुत करते हैं कि कथित स्वतंत्र साक्षी अर्थात् श्री रुपेश गुप्ता (अभि.सा.-1) ने अपने साक्ष्य में अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन नहीं किया है। अभि.सा.-2 (अति.उप.नि. मन मोहन) ने जब्त ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने और

मौके पर नमूने लेने सहित विरोधाभासी बयान दिए हैं। उन्होंने आगे अभिसाक्ष्य दिया है कि अभियुक्त की निजी खोज से कोई मोबाइल फोन बरामद नहीं हुआ है।

21. आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता, उपरोक्त के आधार पर, प्रस्तुत करते हैं कि अभियुक्त अभियोजन पक्ष के मामले पर गंभीर संदेह करने में समर्थ हैं तथा इसलिए, वे जमानत पर रिहा होने के हकदार हैं।

22. वह प्रस्तुत करते हैं कि आवेदकगण दिनांक 03.12.2020, अर्थात् तीन साल से अधिक की अवधि से अभिरक्षा में हैं तथा अन्यथा, उनका स्पष्ट पूर्ववृत्त है जिसमें वर्तमान मामले को छोड़कर कोई आपराधिक मामला नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय के ***रबी प्रकाश बनाम ओडिशा राज्य*** 2023 एससीसी ऑनलाइन एससी 1109 के निर्णय पर भरोसा करते हुये, वह प्रस्तुत करते हैं कि आवेदक जमानत पर रिहा होने के हकदार हैं।

<u>विद्वान अति.लो.अभि. की प्रस्तुतियां:</u>

23. दूसरी ओर, राज्य की ओर से विद्वान अति.लो.अभि. प्रस्तुत करते हैं कि वर्तमान मामले में, यह मात्र अभियुक्त से स्वापक पदार्थों की आकस्मिक बरामदगी थी। वे प्रस्तुत करते हैं कि, इसलिए, एनडीपीएस अधिनियम की धारा 43 के प्रावधान वर्तमान मामले के तथ्यों में लागू नहीं होंगे।

24. वह आगे प्रस्तुत करते हैं कि सीडीआर विवरण के रूप में अभिलेख पर सामग्री, जो दर्शाती है कि आवेदक अपने मोबाइल फोन द्वारा से एक-दूसरे के साथ

लगातार संपर्क में थे, इसलिए, इस बात के प्रमाण हैं कि उन्होंने एक-दूसरे के साथ षड्यंत्र में काम किया था। वह प्रस्तुत करते हैं कि, इसलिए, अभियुक्तगण के खिलाफ एनडीपीएस अधिनियम की धारा 29 को उचित रूप से लागू किया गया है। वह इस न्यायालय के निर्णय ***अवधेश यादव बनाम रा.रा.क्षे दिल्ली सरकार*** तटस्थ उद्धरण सं. 2023:डीएचसी:8529 पर भरोसा जताते है।

25. वे प्रस्तुत करते हैं कि आवेदकों की ओर से विद्वान अधिवक्ता के अभिवचन कि एनडीपीएस अधिनियम की धारा 52क के प्रावधानों का पालन नहीं किया गया है या एएसआई मन मोहन के बयान में विरोधाभास हैं, ऐसे मामले हैं जिन पर विचारण में विचार किया जाना है तथा इस स्थिति में, जमानत पर आवेदकों को रिहा करने का आधार नहीं हो सकता है।

26. वह प्रस्तुत करते हैं कि विचारण में मात्र विलंब भी ऐसे जघन्य अपराधों में अभियुक्त व्यक्तियों को जमानत पर रिहा करने का आधार नहीं है।

<u>विश्लेषण एवं निष्कर्ष:</u>

27. मैंने पक्षकारों की ओर से विद्वान अधिवक्तागण की प्रस्तुतियों पर विचार किया है।

28. अभियोजन पक्ष का मामला है कि दोनों अभियुक्तों को एक साथ यात्रा करते हुए पाया गया था तथा उन्हें दिनांक 02.12.2020 को एक साथ गिरफ्तार किया गया था। वे बैग ले जा रहे थे जिनमें से प्रत्येक में से 12 किलोग्राम गांजा बरामद

किया गया था। हालांकि व्यक्तिगत रूप से बरामद की गई मात्रा मध्यवर्ती होगी, अभियोजन पक्ष ने अभियुक्त व्यक्तियों के सीडीआर विवरण का विश्लेषण करते हुए आरोप लगाया कि चूंकि वे एक-दूसरे के साथ षड्यंत्र में काम कर रहे थे, इसलिए दोनों से बरामद की गई मात्रा को एक साथ जोड़ना होगा जिससे यह एक वाणिज्यिक मात्रा बन जाएगी।

29. ***अमरसिंह रामजिभाई बारोट*** (पूर्वोक्त) मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि केवल इसलिए कि अभियुक्त व्यक्ति एक साथ मिले थे, लेकिन व्यक्तिगत रूप की दुष्प्रेरण में बरामद पदार्थ ले जा रहे थे, यह सुझाव देने के लिए कोई अन्य सबूत नहीं है कि एनडीपीएस अधिनियम की धारा 29 के अर्थ के भीतर कोई उकसावा और/या आपराधिक षड्यंत्र थी, प्रावधान को लागू नहीं किया जा सकता है। हालाँकि, उक्त मामला उच्च न्यायालय द्वारा पारित दोषसिद्धि के आदेश पर विचार कर रहा था।

30. ***निर्मला*** (पूर्वोक्त) एवं ***सागर नाना बोरकर*** (पूर्वोक्त) वर्तमान मामले में, अभियोजन पक्ष ने अभियुक्तों के खिलाफ किसी अन्य सामग्री/साक्ष्य का आरोप नहीं लगाया था, बल्कि उनके प्रतिबंधित पदार्थ के साथ यात्रा करने का आरोप लगाया था।

31. ***अवधेश यादव*** (पूर्वोक्त) मामले में इस न्यायालय के एक विद्वान एकल न्यायाधीश ने व्यक्तिगत रूप से बरामद प्रतिबंधित पदार्थों की मात्रा को एक साथ

जोड़ने के मुद्दे पर विभिन्न पूर्व निर्णय का उल्लेख करने के बाद निम्नलिखित टिप्पणी कीः

49. विधि के प्रावधानों तथा निर्णयज विधि के सार से, जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है, निम्नलिखित सिद्धांतों को जमानत के चरण में दो या दो से अधिक सह-अभियुक्तों से बरामद प्रतिबंधित पदार्थ की मात्रा को एक साथ रखने के लिए नियंत्रित किया जा सकता है:

i. अधिनियम की धारा 29 के तहत दुष्प्रेरण और/या षड्यंत्र के अपराध का आह्वान मात्रा के संयोजन के लिए आवश्यक है। हालांकि, मात्र अधिनियम की धारा 29 के तहत अपराध के आह्वान के आधार पर, सभी अभियुक्तों से बरामद प्रतिबंधित पदार्थ की मात्रा के संयोजन हेतु एक सीधा सूत्र नहीं हो सकता है। यह प्रत्येक मामले की तथ्यात्मक पृष्ठभूमि एवं अभियुक्त व्यक्तियों के खिलाफ उपलब्ध आपत्तिजनक सामग्री पर निर्भर करेगा।

ii. अधिनियम की धारा 29 के तहत दुष्प्रेरण और/या षड्यंत्र के अपराध को लागू करने के लिए जिस सामग्री पर भरोसा किया गया है, उसे दुष्प्रेरण और/या षड्यंत्र के अपराध हेतु आरोपित प्रत्येक अभियुक्त के खिलाफ ठोस और आश्वस्त करना होगा।

iii. ऐसे मामले में जहां दो या दो से अधिक सह-अभियुक्तों से प्रतिबंधित पदार्थ की संयुक्त बरामदगी की गई है, बरामद किए गए प्रतिबंधित पदार्थ को अभियुक्तों की संख्या के बीच समान रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता है ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि बरामद किए गए प्रतिबंधित पदार्थ की मात्रा "वाणिज्यिक मात्रा" में है या नहीं है।

iv. जहां अभियुक्त व्यक्ति एक ही निजी वाहन में एक साथ यात्रा कर रहे हैं, वहां कथित बरामदगी को व्यक्तिगत बरामदगी मनना उचित नहीं होगा तथा सभी व्यक्तियों से बरामद बरामदगी को एक साथ जोड़ा जा सकता है।

v. यदि कोई अभियुक्त आदतन अपराधी है, तो यह इस निष्कर्ष को जन्म देता है कि वह व्यापार की चालों की अच्छी समझ रखता है। ऐसी स्थिति में, एनडीपीएस अधिनियम के तहत मामला(ओं) में अभियुक्त की पूर्व संलिप्तता एक अतिरिक्त कारक है, जिस पर दो या दो से अधिक सह-अभियुक्तों से बरामद प्रतिबंधित पदार्थ की मात्रा को जोड़ने के लिए अन्य दोषपूर्ण परिस्थितियों के अलावा विचार किया जा सकता है।

32. उपरोक्त जांच को लागू करते हुए, कार्यवाही के इस चरण में, अभियुक्त व्यक्तियों के खिलाफ एनडीपीएस अधिनियम की धारा 29 के आह्वान को दोष नहीं दिया जा सकता है। आवेदकों के लिए विद्वान अधिवक्ता द्वारा की गयी प्रस्तुतियों में साक्ष्य की सराहना पर विचार किया जाना चाहिए जो विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष अभियोजन पक्ष के नेतृत्व में है तथा इस स्थिति में इस न्यायालय द्वारा पूर्व-निर्णय नहीं लिया जा सकता है।

33. एनडीपीएस अधिनियम की धारा 42 निम्नानुसार है:

42. वारंट या प्राधिकरण के बिना प्रवेश, तलाशी, अभिग्रहण एवं गिरफ्तारी की शक्ति — *(1) केंद्रीय उत्पाद शुल्क, स्वापक पदार्थ, जमानत शुल्क, राजस्व आसूचना विभाग या अर्धसैनिक बलों या सशस्त्र बलों सहित केंद्र सरकार के किसी अन्य विभाग का कोई*

भी अधिकारी (चपरासी, सिपाही या सिपाही से ऊपर रैंक का अधिकारी) जिसे केंद्र सरकार द्वारा सामन्य या विशेष आदेश द्वारा इस संबंध में अधिकार दिया गया है, या राजस्व, स्वापक पदार्थ नियंत्रण, उत्पाद शुल्क, पुलिस या राज्य सरकार के किसी अन्य विभाग का कोई भी अधिकारी (चपरासी, सिपाही या सिपाही से ऊपर रैंक का अधिकारी) जिसे राज्य सरकार के सामान्य या विशेष आदेश द्वारा इस संबंध में अधिकार दिया गया है, यदि उसे किसी व्यक्ति द्वारा दी गई व्यक्तिगत जानकारी या जानकारी से विश्वास करने का कारण है तथा लिखित रूप में हटा दिया गया है कि कोई स्वापक पदार्थ, या मनोवैज्ञानिक या कोई दस्तावेज या अन्य वस्तु जो ऐसे अपराध या किसी अवैध रूप से अर्जित संपत्ति या किसी दस्तावेज या अन्य वस्तु के होने का साक्ष्य दे सकती है जो इस अधिनियम के अध्याय 5क के तहत अभिग्रहण या फ्रीज या ज़ब्त करने के लिए उत्तरदायी है, जिसे सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच किसी इमारत, वाहन या संलग्न स्थान में रखा या छुपाया जा सकता है -

(क) ऐसी किसी भी इमारत, वाहन या स्थान में प्रवेश करें तथा उसकी तलाशी लें;

(ख) प्रतिरोध के मामले में, किसी भी दरवाजे को तोड़ें तथा ऐसे प्रवेश के लिए किसी भी बाधा को दूर करें;

(ग) ऐसी दवा या पदार्थ और उसके निर्माण में उपयोग की जाने वाली सभी सामग्रियों और किसी अन्य वस्तु या किसी भी जानवर या वाहन को जब्त कर सकता है जिसे वह इस अधिनियम के तहत जब्त करने के लिए उत्तरदायी मानता है और कोई भी दस्तावेज या अन्य वस्तु जो उसके विश्वास करने का कारण है, वह इस अधिनियम के तहत दंडनीय किसी अपराध के कारित होने का साक्ष्य दे सकता है या

किसी अवैध रूप से अर्जित संपत्ति को रखने का साक्ष्य दे सकता है जो इस अधिनियम के अध्याय 5क के तहत अभिग्रहण या फ्रीज या ज़ब्त करने के लिए उत्तरदायी है; और

(घ) निरुद्ध करना और तलाशी लेना, और यदि वह उचित समझता है, तो किसी ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार करें जिसे उसके पास इस अधिनियम के तहत दंडनीय अपराध करने का विश्वास करने का कारण है:

बशर्ते कि इस अधिनियम या उसके तहत बनाए गए किसी नियम या आदेश के तहत दी गई विनिर्मित दवाओं या मनःप्रभावी पदार्थों या नियंत्रित पदार्थों के निर्माण हेतु अनुज्ञप्ति धारक के संबंध में, ऐसी शक्ति का प्रयोग उप-निरीक्षक के पद से कम के अधिकारी द्वारा नहीं किया जाएगा:

आगे यह भी प्रावधान है कि यदि ऐसे अधिकारी के पास यह विश्वास करने का कारण है कि साक्ष्य छिपाने का अवसर दिए बिना या अपराधी के निकल भागने की सुविधा दिए बिना तलाशी वारंट या प्राधिकार प्राप्त नहीं किया जा सकता है, तो वह अपने विश्वास के आधारों को अभिलिखित करने के पश्चात् सूर्यास्त और सूर्योदय के बीच किसी भी समय ऐसे भवन, वाहन या संलग्न स्थान में प्रवेश कर सकता है और तलाशी ले सकता है।

(2) जहां कोई अधिकारी उप-धारा (1) के तहत लिखित रूप में कोई जानकारी लेता है या उसके परंतुक के तहत अपने विश्वास के लिए आधार दर्ज करता है, तो वह बहत्तर घंटे के भीतर अपनी तत्काल आधिकारिक वरिष्ठ को इसकी एक प्रति भेजेगा।

34. उक्त प्रावधान को लागू करने के लिए, उक्त धारा में उल्लिखित अधिकारी के पास व्यक्तिगत जानकारी से या किसी व्यक्ति द्वारा दी गई और लिखित रूप में ली

गई जानकारी के कारण यह विश्वास करने का कारण होना चाहिए कि कोई भी स्वापक दवा, मनःप्रभावी पदार्थ, या नियंत्रित पदार्थ या उसके संबंध में कोई भी दस्तावेज किसी भी भवन, परिवहन या संलग्न स्थान में रखा या छुपाया गया है। वर्तमान मामले में, अभियोजन पक्ष का मामला यह है कि यह एक आकस्मिक वसूली थी। जब अभियुक्तों को पुलिस पिकेट पर रोका/पकड़ा गया तो कोई पूर्व सूचना या कोई संदेह नहीं था।

35. ***मोहिंदर सिंह*** (पूर्वोक्त) मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि एनडीपीएस अधिनियम पूर्व-निर्धारित विधान होने के कारण इसकी व्याख्या सख्त होनी चाहिए। हालाँकि, मेरी राय में, यह वाद के इस चरण में अभियुक्त की सहायता के लिए नहीं आ सकता है।

36. हालाँकि, यह मुझे आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता की दो महत्वपूर्ण प्रस्तुतियों के साथ छोड़ देता है। पहला यह कि एनडीपीएस अधिनियम की धारा 52क के आदेश का पालन नहीं किया गया है, तथा इस बात का कोई साक्ष्य नहीं है कि नमूने एफएसएल को उसकी राय प्राप्त करने के लिए कैसे भेजे गए थे। आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता की दूसरी प्रस्तुति यह है कि उप.नि. विवेक गौतम, जिसने विद्वान महानगर दंडाधिकारी के समक्ष एनडीपीएस अधिनियम की धारा 52क के तहत आवेदन दायर किया था, एनडीपीएस अधिनियम की धारा 53 के तहत एक सशक्त

अधिकारी नही था और न ही मौके पर जब्ती की कार्यवाही करने वाला अधिकारी था।

37. एनडीपीएस अधिनियम की धारा 52 एवं 52क नीचे पुनः प्रस्तुत की गई हैं:

> ***52. गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों एवं अभिग्रहण वस्तुओं का निपटान*** *— (1) धारा 41, धारा 42, धारा 43 या धारा 44 के तहत किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने वाला कोई भी अधिकारी, जितनी जल्दी हो सके, उसे ऐसी गिरफ्तारी के आधार के बारे में सूचित करेगा।*
>
> *(2) धारा 41 की उप-धारा (1) के तहत जारी वारंट के तहत गिरफ्तार किए गए प्रत्येक व्यक्ति और अभिग्रहण की गई वस्तु को बिना किसी अनावश्यक देरी के उस दंडाधिकारी को भेजा जाएगा जिसके द्वारा वारंट जारी किया गया था।*
>
> *(3) धारा 41 की उप-धारा (2), धारा 42, धारा 43 या धारा 44 के तहत गिरफ्तार किए गए प्रत्येक व्यक्ति और अभिग्रहण की गई वस्तु को बिना किसी अनावश्यक देरी के प्रषित करनी चाहिये-*
>
> *(क) निकटतम थाना प्रभारी अधिकारी, या*
>
> *(ख) धारा 53 के तहत सशक्त अधिकारी*
>
> *(4) उप-धारा (2) या उप-धारा (3) के तहत जिस प्राधिकारी या अधिकारी को कोई व्यक्ति या वस्तु भेजी जाती है, वह सभी सुविधाजनक प्रेषण के साथ ऐसे उपाय करेगा जो ऐसे व्यक्ति या वस्तु के विधि के अनुसार निपटान हेतु आवश्यक हो।*
>
> ***52क. अभिग्रहण स्वापक पदार्थ एवं मनःप्रभावी पदार्थों का निपटान*** *—* (1) *केन्द्रीय सरकार, किसी स्वापक औषधि, मन:प्रभावी पदार्थ, नियंत्रित पदार्थ या वाहन के संबंध में,*

खतरनाक प्रकृति, चोरी की संवेदनशीलता, प्रतिस्थापन, उचित भंडारण स्थान की कमी या किसी अन्य प्रासंगिक विचार को ध्यान में रखते हुए, आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, ऐसे स्वापक औषधि, मन:प्रभावी पदार्थ, नियंत्रित पदार्थ या वाहन या स्वापक औषधियों के वर्ग, मन:प्रभावी पदार्थों के वर्ग, नियंत्रित पदार्थ या वाहन के वर्ग को निर्दिष्ट कर सकेगी, जो उनकी अधिग्रहण के बाद यथाशीघ्र, ऐसे अधिकारी द्वारा और इस तरह से निपटान किया जाएगा, जैसा कि सरकार, समय-समय पर, इसमें इसके बाद निर्दिष्ट प्रक्रिया का पालन करने के बाद निर्धारित करती है।

(2) जहां कोई स्वापक औषधि, मन:प्रभावी पदार्थ, नियंत्रित पदार्थ या वाहन जब्त किया गया है तथा निकटतम थाना प्रभारी को या धारा 53 के अधीन सशक्त अधिकारी को भेजा जाये, वहां उप-धारा (1) में निर्दिष्ट अधिकारी ऐसी स्वापक औषधि, मन:प्रभावी पदार्थ, नियंत्रित पदार्थ या वाहन की एक सूची तैयार करेगा जिसमें उनके विवरण, गुणवत्ता, मात्रा, पैकिंग के तरीके, चिह्नों, संख्याओं या स्वापक औषधि, मन:प्रभावी पदार्थ, नियंत्रित पदार्थ या वाहन या जिस पैकिंग में वे पैक किए गए हैं, उद्गम देश एवं अन्य विवरणों से संबंधित ऐसे ब्यौरे होंगे जिन्हें उप-धारा (1) में निर्दिष्ट अधिकारी इस अधिनियम के अधीन किसी कार्यवाही में स्वापक औषधि, मन:प्रभावी पदार्थ, नियंत्रित पदार्थ या वाहन की पहचान के लिए सुसंगत समझे तथा किसी दंडाधिकारी को इस प्रयोजन हेतु आवेदन करे—

(क) इस प्रकार तैयार की गई सूची की सत्यता को प्रमाणित करना; या

(ख) ऐसे दंडाधिकारी की उपस्थिति में, ऐसी दवाओं, पदार्थों या परिवहन की तस्वीरें लेना और ऐसी तस्वीरों को सत्य के रूप में प्रमाणित करना; या

(ग) ऐसे दंडाधिकारी की उपस्थिति में ऐसी औषधियों या पदार्थों के प्रतिनिधि नमूने लेने की अनुमति देना तथा इस प्रकार लिए गए नमूनों की किसी सूची की सत्यता प्रमाणित करना।

(3) जहाँ उप-धारा (2) के तहत आवेदन किया जाता है, दंडाधिकारी, जितनी जल्दी हो सके, आवेदन को स्वीकार करेगा।

(4) भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (1/1972) या दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (2/1974) में कुछ भी निहित होने के बावजूद, इस अधिनियम के तहत अपराध का विचारण करने वाला प्रत्येक न्यायालय, सूची, स्वापक दवाओं, मनःप्रभावी पदार्थ, नियंत्रित पदार्थों या परिवहन की तस्वीरों एवं उप-धारा (2) के तहत तैयार किए गए एवं दंडाधिकारी द्वारा प्रमाणित नमूनों की किसी भी सूची को ऐसे अपराध के संबंध में प्राथमिक साक्ष्य के रूप में मनेगा।

38. उपरोक्त प्रावधानों के पठन से पता चलेगा कि एनडीपीएस अधिनियम की धारा 42, 43 और 44 के तहत जब्त की गई किसी भी वस्तु को बिना किसी अनावश्यक देरी के निकटतम थाना प्रभारी या एनडीपीएस अधिनियम की धारा 53 के तहत सशक्त अधिकारी को भेजा जाएगा। एनडीपीएस अधिनियम की धारा 52क की उप-धारा (2) में आगे कहा गया है कि निकटतम थाना प्रभारी या एनडीपीएस अधिनियम की धारा 53 के तहत या एनडीपीएस अधिनियम की धारा 52(1) के तहत सशक्त अधिकारी स्वापक पदार्थ, मनःप्रभावी पदार्थ, नियंत्रित पदार्थ या वाहन

या किसी भी साक्ष्य की एक सूची तैयार करेगा, तथा इस तरह से तैयार की गई सूची की शुद्धता को प्रमाणित करने एवं उस की तस्वीरें लेने और दंडाधिकारी द्वारा प्रमाणित किए जाने के उद्देश्य से किसी भी दंडाधिकारी को आवेदन करेगा, तथा ऐसे दंडाधिकारी की उपस्थिति में ऐसी दवाओं या पदार्थों के प्रतिनिधि नमूने लेने की अनुमति देगा तथा इस तरह से तैयार किए गए नमूनों की किसी भी सूची की सत्यता को प्रमाणित करेगा। उप.नि. विवेक गौतम को वह व्यक्ति नहीं दिखाया गया है जिसके समक्ष प्रतिग्रहण किया गया था और न ही, वर्तमान में, यह दिखाया गया है कि वह थाना प्रभारी है या एनडीपीएस अधिनियम की धारा 53 या 52क(1) के तहत सशक्त अधिकारी है।

39. इसके अलावा, वर्तमान मामले में दायर आरोप-पत्र में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नानुसार कहा गया है:

> *28/01/2021 को मामले की जांच के दौरान, आरसी सं.- 5/21/2021, दिनांक - 28/01/2021 के माध्यम से मामले में गांजा के नमूनों के पैकेट के साथ कांस्टेबल विजय सं. - 2178/एसई को नमूने जमा करने के लिए एफएसएल, रोहिणी भेजा गया था। एफएसएल, रोहिणी के रसायन विभाग में नमूने जमा नहीं किए जा सके तथा अधिकारियों ने नए अग्रेषण पत्र द्वारा नमूने भेजने के लिए कहा। पुनः दिनांक 30/03/2021 को, वर्तमान मामले के गांजे के नमूने आरसी सं. - 35/21/2021, दिनांक - 30/03/2021 द्वारा कांस्टेबल विजय सं. - 2178/एसई द्वारा एफएसएल, रोहिणी भेजे गए थे। एफएसएल, रोहिणी के रसायन विज्ञान प्रभाग में नमूने जमा नहीं किए जा सके तथा अधिकारियों को दंडाधिकारी द्वारा नमूने के पैकेट पर हस्ताक्षर*

करने के लिए कहा गया, जिन्होंने नमूने लिए थे और वर्तमान मामले में पार्सल को सील कर दिया था, जिस पर दंडाधिकारी ने दिनांक 07/12/2020 तक हस्ताक्षर नहीं किए गये थे। बाद में, दिनांक 01.04.2021 को, विद्वान एम.एम. श्री भानु प्रताप सिंह, दक्षिण पूर्व साकेत, दिल्ली के समक्ष नमूने प्रस्तुत किए गए तथा उनसे नमूनों पर हस्ताक्षर करने का अनुरोध किया गया ताकि नमूनों को जांच हेतु एफएसएल में जमा किया जा सके, लेकिन विद्वान एम.एम. ने मामले के नमूने पर हस्ताक्षर नहीं किए तथा जिसके कारण मामले में बरामद प्रतिबंधित पदार्थों के नमूने अभी तक जांच हेतु एफएसएल में जमा नहीं किए जा सके। नमूने जमा करने के बाद तथा मामले में बरामद स्वापक पदार्थ की प्रकृति के बारे में एफएसएल से अंतिम राय प्राप्त करने के बाद, माननीय न्यायालय के समक्ष पूरक आरोप पत्र दायर किया जाएगा।

40. अभियोजन पक्ष का मामला है कि नमूने दिनांक 07.12.2020 को तैयार किए गए थे। आरोप-पत्र में यह दर्ज किया गया कि दिनांक 01.04.2021 को, विद्वान महानगर दंडाधिकारी ने नमूनों को हस्ताक्षरित अर्थात् उन्हें प्रमाणित करने से इनकार कर दिया। यह नहीं बताया गया है कि इसके बाद नमूने एफएसएल को कैसे भेजे गए तथा रिपोर्ट कैसे प्राप्त की गई। आवेदकों ने यह भी आरोप लगाया है कि *मालखाना* पंजीकृत को भी विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष अभिलेख पर नहीं रखा गया है। यही बात अभियोजन पक्ष के मामले पर गंभीर संदेह पैदा करती है।

41. आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता ने यह भी कहा है कि एएसआई मन मोहन (अभि.सा.-2) के बयानों मे अहम अंतर्विरोध हैं।

42. दूसरा, आवेदक दिनांक 03.12.2020 के बाद से अभिरक्षा में हैं। विद्वान विचारण न्यायालय ने अपने दिनांक 06.06.2023 के आदेश में, जमानत पर रिहा होने के लिए आवेदकों के आवेदन को खारिज करते हुए, यह स्वयं दर्ज किया है कि विचारण प्रारंभिक चरण में है तथा साक्षियों की जांच की जानी बाकी है तथा साक्ष्य अभी तक साबित नहीं हुए हैं।

43. ***मोहम्मद मुस्लिम बनाम राज्य (रा.रा.क्षे. दिल्ली),*** 2023 एससीसी ऑनलाइन एससी 352, सर्वोच्च न्यायालय ने अभियुक्त द्वारा जमानत पर रिहा किए जाने के लिए दायर आवेदन पर विचार करते हुए निम्नलिखित टिप्पणी कीः-

> *12. इसलिए इस न्यायालय को एनडीपीएस अधिनियम, विशेष रूप से धारा 37 के ढांचे के भीतर जमानत हेतु अपीलार्थी के दावे पर विचार करना होगा। उच्चतम न्यायालय विधिक सहायता समिति (विचाराधीन कैदियों का प्रतिनिधित्व) बनाम भारत संघ में, इस न्यायालय ने कुछ महत्वपूर्ण टिप्पणियां कीं, जिनका एनडीपीएस अधिनियम के तहत अपराधों के अभियुक्तों को जमानत से इनकार करने से निपटने के दौरान वर्तमान मामले पर असर पड़ता है:*
>
> *उक्त प्रावधान की कठोरता के कारण कतिपय अपराध के बहुत कम अभियुक्त व्यक्ति इस अधिनियम के तहत जमानत प्राप्त कर पाते है। अब एक ओर जमानत से इनकार करना और दूसरी ओर मामलों की सुनवाई में देरी करना स्पष्ट रूप से अनुचित एवं तर्कहीन है तथा अधिनियम की धारा 36(1), संहिता की धारा 309 तथा संविधान के अनुच्छेद 14, 19 व 21 की भावना के विपरीत है। हम अधिनियम की धारा 37 में वैधानिक प्रावधान के*

बारे में सचेत हैं, जिसमें उन शर्तों को निर्धारित किया गया है जिन्हें अधिनियम के तहत अपराध के अभियुक्त व्यक्ति को रिहा करने से पहले पूरा किया जाना है। वास्तव में हमने निर्णय के पूर्व भाग में इस धारा का उल्लेख किया है। हमने कर्तार सिंह बनाम पंजाब राज्य [(1994) 3 एससीसी 569] मामले में संविधान न्यायपीठ द्वारा टाडा अधिनियम की धारा 20 में इसी तरह के प्रावधान पर रखी गई व्याख्या को भी ध्यान में रखा है। इस प्रावधान के बावजूद, हमने मुख्य रूप से अनुच्छेद 21 के आह्वान पर उपरोक्त निर्देश दिया है कि त्वरित सुनवाई के अधिकार के लिए कुछ मामलों में आपराधिक कार्यवाही को पूरी तरह से अभिखंडित करने की भी आवश्यकता हो सकती है, जैसा कि इस न्यायालय की संविधान पीठ ने ए.आर. अंतुले बनाम आर.एस. नायक [(1992) 1 एससीसी 225] में अभिनिर्धारित किया था, जमानत पर रिहाई, जिसे त्वरित सुनवाई के अधिकार में अंतर्निहित मना जा सकता है, कुछ मामलों में अनुच्छेद 21 की मांग हो सकती है। चूंकि हम कार्यवाही को अभिखंडित करने तथा उन अभियुक्तों को रिहा करने के चरम प्रस्तुति को स्वीकार करने के लिए इच्छुक नहीं हैं, जिनके विचारण पहले से ही उल्लिखित कारणों से उचित समय से परे विलंबित हो गए हैं, हमने महसूस किया है कि शीघ्र विचारण सुनिश्चित किए बिना व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित करना भी अनुच्छेद 21 द्वारा गारंटीकृत अधिकार के अनुरूप नहीं होगा। बेशक, ऐसे मामलों में व्यक्तिगत स्वतंत्रता से कुछ हद तक वंचित होने से बचा नहीं जा सकता है; लेकिन अगर विचारण के लंबित रहने तक वंचित होने की अवधि अनावश्यक रूप से लंबी हो जाती है, तो अनुच्छेद 21 द्वारा सुनिश्चित निष्पक्षता को झटका लगेगा। इसी वजह से हमने महसूस किया है कि अभियुक्तों द्वारा कारावास भुगतने के बाद, जो

अपराध के लिए प्रदान की गई अधिकतम सजा का आधा है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता से किसी भी तरह से वंचित होना अनुच्छेद 21 द्वारा परिकल्पित मौलिक अधिकार का उल्लंघन होगा, जिसे अनुच्छेद 14 द्वारा गारंटीकृत अधिकार के साथ जोड़ा जाना चाहिए जो प्रक्रियात्मक मामलों में न्याय, निष्पक्षता और तर्कसंगतता का भी वादा करता है।

13. जब विधिक प्रावधान किसी अभियुक्त के जमानत प्राप्त करने के अधिकार को सीमित करते हैं, और तदनुसार न्यायिक विवेक को बाधित करते हैं (जैसे वर्तमान मामले में एनडीपीएस अधिनियम की धारा 37), तो इस न्यायालय ने दो प्रतिस्पर्धी मूल्यों को मिलाने के लिए उन्हें बरकरार रखा है, अर्थात्, अभियुक्त के स्वतंत्रता का आनंद लेने का अधिकार, निर्दोषता की धारणा तथा सामाजिक हित के आधार पर - जैसा कि वामन नारायण घिया बनाम राजस्थान राज्य में देखा गया है ("जमानत की अवधारणा एक ऐसे व्यक्ति की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित करने की पुलिस शक्ति और कथित अपराधी के पक्ष में निर्दोषता की धारणा के बीच संघर्ष से उभरती है...")। साथ ही, उन्हें इस शर्त पर बरकरार रखा जाता है कि विचारण तेजी से समाप्त हो जाये। करतार सिंह बनाम पंजाब राज्य में संविधान न्यायपीठ ने इस आशय की टिप्पणियां की है। शाहीन वेलफेयर एसोसिएशन बनाम भारत संघ में पुनः, इस न्यायालय ने वही भावना व्यक्त की, अर्थात् जमानत के प्रावधानों को कम करते हुए, जब कड़े प्रावधान लागू किए जाते हैं, एवं न्यायिक विवेक को प्रतिबंधित करते हुए, यह इस आधार पर होता है कि जांच और विचारण तेजी से समाप्त हो जाएंगे। न्यायालय ने कहा कि संसदीय हस्तक्षेप निम्नलिखित आधार पर आधारित है:

आतंकवादी और विघटनकारी गतिविधियों या समाज के लिए हानिकारक अन्य गतिविधियों से समुदाय और राष्ट्र की रक्षा के लिए एक विचाराधीन अभियुक्त की व्यक्तिगत स्वतंत्रता का कुछ हद तक त्याग करने के लिए विधायिका द्वारा एक सचेत निर्णय लिया गया है, और यह भी आवश्यक है कि ऐसे अपराधों की जांच कुशलता से की जाए तथा ऐसे गंभीर अपराधों के अभियुक्त व्यक्तियों को कानून के दायरे में लाने के लिए पर्याप्त संख्या में अभिहित न्यायालयों का गठन किया जाए। यही एकमात्र तरीका है जिससे समाज को हानिकारक गतिविधियों से बचाया जा सकता है। इससे यह भी सुनिश्चित होगा कि अंततः निर्दोष पाए जाने वाले व्यक्तियों को अनावश्यक रूप से लंबे समय तक जेल में नहीं रखा जाएगा।

19. न्यायालयों को जिन परिस्थितियों का संज्ञान लेना होता है, वे हैं कि यह मानने के लिए उचित आधार हैं कि अभियुक्त ऐसे अपराध का दोषी नहीं है तथा यह कि जमानत पर रहते हुए उसके द्वारा कोई अपराध करने की संभावना नहीं है। जब सारे साक्ष्य न्यायालय के समक्ष न हों तो दोषी न होने का क्या मतलब है? यह केवल प्रथम दृष्टया निर्धारित हो सकता है। इससे न्यायालय का विवेक बहुत ही सीमित दायरे में आ जाता है। जमानत पर सामान्य कानून (दं.प्र.सं. की धारा 436, 437 और 439,) के अधिदेश को देखते हुए, जो अपराधों को उनकी गंभीरता के आधार पर वर्गीकृत करता है, और निर्देश देता है कि जमानत आवेदनों पर विचार करते समय कुछ गंभीर अपराधों का अलग तरीके से निपटान किया जाना चाहिए, अतिरिक्त परिस्थिति यह है कि न्यायालय को संतुष्ट होना चाहिए कि अभियुक्त (जिसे विधि के अनुसार निर्दोष है) दोषी नहीं है, की उचित व्याख्या की

जानी चाहिए। इसके अलावा विशेष अधिनियमों (एनडीपीएस अधिनियम, आदि) के तहत अपराधों का वर्गीकरण, जो न्यायालयों द्वारा निर्धारित की जाने वाली सामान्य जमानत शर्तों के अतिरिक्त लागू होता है, के लिए न्यायालय को अपनी संतुष्टि स्थापित करनी होती है कि अभियुक्त अपराध का दोषी नहीं हो सकता है तथा रिहा होने पर उसके द्वारा कोई अपराध करने की संभावना नहीं है। इन दो परिस्थितियों का प्रभाव अन्य परिस्थिति पर हावी होने लगता है। ऐसे मामलों में जहां जमानत की मांग जाती है, न्यायालय अपराध की प्रकृति, जांच में अभियुक्त द्वारा सहयोग करने की संभावना, न्याय से न भागने की संभावना जैसे अभिलेख पर मौजूद सामग्री यहां तक कि हत्या, अपहरण, बलात्कार आदि जैसे गंभीर अपराधों का मूल्यांकन करता है: दूसरी ओर, ऐसे विशेष अधिनियमों के तहत इन मामलों में न्यायालय को मुख्य रूप से दो तथ्यों पर विचार करना होता है: अभियुक्त का संभावित अपराध और रिहा होने पर उसके द्वारा कोई अपराध न करने की संभावना होती है। इस न्यायालय ने आम तौर पर इस आधार पर ऐसी शर्तों को बरकरार रखा है कि ऐसे नागरिकों की स्वतंत्रता को - विशेष कानूनों के तहत बनाए गए अपराधों के अभियुक्तों के मामलों में - सार्वजनिक हित के विरुद्ध संतुलित किया जाना चाहिए।

20. धारा 37 के तहत शर्तों की एक स्पष्ट और शाब्दिक व्याख्या (अर्थात्, उस न्यायालय की जमानत याचिका संतुष्ट होनी चाहिए कि अभियुक्त दोषी नहीं है और कोई अपराध कारित नहीं करेगा) प्रभावी रूप से जमानत को पूरी तरह से खत्म कर देगा, जिसके परिणामस्वरूप दंडात्मक निरोध और गैर-स्वीकृत निवारक निरोध भी होगा। इसलिए, एकमात्र तरीका जिसमें धारा 37 के तहत अधिनियमित ऐसी विशेष शर्तों पर संवैधानिक मापदंडों के भीतर

विचार किया जा सकता है, वह है जहां न्यायालय अभिलेख पर सामग्री (जब भी जमानत आवेदन किया जाता है) पर प्रथमदृष्टया देखने पर यथोचित रूप से संतुष्ट होती है कि अभियुक्त दोषी नहीं है। किसी भी अन्य व्याख्या के परिणामस्वरूप एनडीपीएस अधिनियम की धारा 37 के तहत अधिनियमित अपराधों के अभियुक्त व्यक्ति को जमानत देने से पूरी तरह से इनकार कर दिया जाएगा।

21. इसलिए, विचार किए जाने वाला मानक वह है, जहां न्यायालय सामग्री को व्यापक, एवं उचित रूप से देखेगा कि क्या अभियुक्त का अपराध साबित हो सकता है। इसलिए, इस न्यायालय के निर्णयों ने इस बात पर जोर दिया है कि न्यायालयों से जिस संतुष्टि को दर्ज करने की अपेक्षा की जाती है, अर्थात् कि अभियुक्त दोषी नहीं हो सकता है, वह केवल प्रथम दृष्टया, उचित पठन पर आधारित है, जिसके लिए जांच के दौरान एकत्र की गई सामग्रियों की सावधानीपूर्वक जांच की आवश्यकता नहीं होती है (जैसा कि भारत संघ बनाम रतन मलिक में माना गया है)। विचारण में अनुचित देरी के आधार पर जमानत देने को अधिनियम की धारा 37 द्वारा बाधित नहीं कहा जा सकता है, धारा 436क की अनिवार्यता को देखते हुए जो एनडीपीएस अधिनियम के तहत अपराधों पर भी लागू होती है (संदर्भः सतेंद्र कुमार अंतिल पूर्वोक्त)। इन कारकों को ध्यान में रखते हुए न्यायालय की राय है कि इस मामले के तथ्यों में, अपीलार्थी को जमानत पर रिहा किया जाना चाहिए।

22. अलग होने से पहले, यह विचार करना ज़रूरी है कि ज़मानत देने के लिए सख़्त शर्तें लगाने वाली विधि जनहित में ज़रूरी हो सकते हैं; फिर भी, अगर समय रहते सुनवाई पूरी नहीं होती है, तो व्यक्ति के साथ होने वाला अन्याय अथाह है। जेलों में भीड़भाड़

है और अक्सर वहाँ रहने की स्थिति बहुत ख़राब होती है। संसद में केंद्रीय गृह मंत्रालय की प्रतिक्रिया के अनुसार, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो ने दर्ज किया है कि 31 दिसंबर 2021 तक देश की जेलों में कुल क्षमता 4,25,069 लाख के मुक़ाबले 5,54,034 से ज़्यादा कैदी बंद थे। इनमें से 122,852 दोषी थे जबकि बाकी 4,27,165 विचाराधीन कैदी थे।

23. अन्यायपूर्ण कारावास का खतरा यह है कि कैदियों को "कारावास" का खतरा होता है, जिसे केरल उच्च न्यायालय ने ए कन्विक्ट प्रिजनर बनाम स्टेटन में "एक क्रांतिकारी परिवर्तन" के रूप में वर्णित किया है, जिसके तहत कैदी:

अपनी पहचान खो देता है। वह एक संख्या के रूप में जाना जाता है। वह अपनी व्यक्तिगत संपत्ति खो देता है। उनका कोई व्यक्तिगत संबंध नहीं होता है। मनोवैज्ञानिक समस्याएं स्वतंत्रता, स्थिति, संपत्ति, गरिमा, व्यक्तिगत जीवन की किसी भी स्वायत्तता के नुकसान के परिणामस्वरूप होती हैं। जेल की कैदी संस्कृति भयावह हो जाती है। कैदी सामान्य मानकों से भी एक दूसरे का शत्रु हो जाता है। आत्म-धारणा बदलती है।

24. कैदी के अपराध की ओर मुड़ने का एक और खतरा है, "क्योंकि अपराध न केवल सराहनीय हो जाता है, बल्कि जितना अधिक पेशेवर अपराध होता है, अपराधी को उतना ही अधिक सम्मान मिलता है" (डोनाल्ड क्लेमर की 1940 में प्रकाशित "द प्रिज़न कम्युनिटी" भी देखें)। कारावास के और भी हानिकारक प्रभाव हैं - जहाँ अभियुक्त सबसे कमज़ोर आर्थिक तबके से आता है: आजीविका का तत्काल नुकसान, और कई मामलों में, परिवारों का बिखराव और पारिवारिक बंधनों का टूटना और समाज से अलगाव इसलिए, न्यायालयों को इन पहलुओं के प्रति संवेदनशील होना चाहिए (क्योंकि बरी होने की स्थिति में,

अभियुक्त को होने वाला नुकसान अपूरणीय होता है), और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि विचारण - विशेष रूप से ऐसे मामलों में, जहाँ विशेष विधि कड़े प्रावधान लागू करते हैं, जल्दी से उनका निपटान किया जाये तथा निष्कर्ष पर पहुँचा जाये।"

44. ***रबी प्रकाश*** (पूर्वोक्त) में, सर्वोच्च न्यायालय ने उपरोक्त सिद्धांतों को निम्नानुसार दोहराया:-

4. एनडीपीएस अधिनियम की धारा 37 में निहित दोहरी शर्तों के संबंध में, प्रत्यर्थी की ओर से विद्वान अधिवक्ता - राज्य को विधिवत सुना गया है। इस प्रकार, पहली शर्त का अनुपालन किया जाता है। जहां तक दूसरी शर्त का संबंध है: इस बारे में राय बनाना कि क्या यह मानने के लिए उचित आधार हैं कि याचिकाकर्ता दोषी नहीं है, इस स्तर पर राय नहीं बनाई जा सकती है जब वह पहले ही साढ़े तीन साल से अधिक अभिरक्षा में बिता चुका है। लंबे समय तक कारावास, आम तौर पर संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत गारंटीकृत सबसे कीमती मौलिक अधिकार के खिलाफ है तथा ऐसी स्थिति में, सशर्त स्वतंत्रता को एनडीपीएस अधिनियम की धारा 37(1)(ख)() के तहत बनाए गए वैधानिक प्रतिबंध को खत्म करना चाहिए।

45. ***बादशा में एस. के. बनाम पश्चिम बंगाल राज्य*** (वि.अनु.या.(आप) 9715/2023 दिनांक 13.09.2023 आदेश में पारित) में, यहां अभियुक्त दो साल

और चार महीने से अधिक समय से अभिरक्षा में था तथा विचारण अभी शुरू नहीं हुआ था। इसलिए यह न्यायालय अभियुक्त को जमानत पर रिहा करती है।

46. इसी तरह, ***मन मंडल व अन्य बनाम पश्चिम बंगाल राज्य*** (दिनांक 14.09.23 में आरक्षित विशेष अनुमति याचिका (आप) 8658/2023) पर निर्णय लिया गया, जिसमें अभियुक्त लगभग दो साल से अभिरक्षा में था तथा न्यायालय ने यहा पाया कि विचारण को तत्काल निकट भविष्य में सुनवाई हेतु लिये जाने की संभावना नहीं है। इसलिए अभियुक्त को जमानत पर रिहा कर दिया गया था।

47. ***धीरज कुमार शुक्ला बनाम उत्तर प्रदेश राज्य***, 2023 एससीसी ऑनलाइन एससी 918, सर्वोच्च न्यायालय ने अभियुक्त पुनः जमानत पर रिहा कर दिया, जिसमें कहा गया है:-

> *3. ऐसा प्रतीत होता है कि प्रवीण मौर्य उर्फ पुनीत मौर्य सहित 'होंडा सिटी' कार के कुछ लोगों को नियमित जमानत पर रिहा कर दिया गया है। यह सच है कि याचिकाकर्ता से बरामद की गई मात्रा वाणिज्यिक प्रकृति की है तथा अधिनियम की धारा 37 के प्रावधान सामान्य रूप से लागू हो सकते हैं। हालाँकि, आपराधिक पृष्ठभूमि के अभाव में एवं इस तथ्य के कारण कि याचिकाकर्ता पिछले ढाई साल से अभिरक्षा में है, हम संतुष्ट हैं कि अधिनियम की धारा 37 की शर्तों को इस स्तर पर समाप्त किया जा सकता है, खासकर तब जब विचारण अभी शुरू होना बाकी है, लेकिन आरोप तय हो चुके हैं।*

48. ***गुरप्रीत सिंह बनाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली राज्य***, तटस्थ उद्धरण सं. 2024:डीएचसी:796 में, इस न्यायालय ने विचारण में देरी के प्रभाव पर विचार करते हुए कहा है:-

> *16. उपरोक्त के अलावा, अभियोजन पक्ष द्वारा 22 गवाहों में से केवल 2 (दो) से पूछताछ की गई है, और वह भी आंशिक रूप से, हालांकि आवेदक की गिरफ्तारी को साढ़े तीन साल से अधिक समय बीत चुका है। यह सच हो सकता है कि विचारण के समापन में देरी का कारण विभिन्न कारकों से हो सकता है, अभियोजन पक्ष को भी जिम्मेदार न ठहराना, जैसे कि कोविड-19 महामारी और न्यायालयों के सीमित कार्य, हालाँकि, जब तक वे आवेदक/अभियुक्त के लिए जिम्मेदार नहीं हैं, मेरे विचार में, आवेदक भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत अपनी स्वतंत्रता के संरक्षण का हकदार होगा। इसलिए, विचारण में देरी उन विचारों में से एक होगी जो अभियुक्त द्वारा जमानत पर रिहा होने के लिए दायर आवेदन पर विचार करते समय न्यायालय के साथ विचार करेगी।*

49. उपरोक्त से, यह स्पष्ट है कि जमानत पर रिहा होने के लिए एनडीपीएस की धारा 37 के तहत अभियुक्त द्वारा किए जाने वाली कड़ी जांच के बावजूद, यह अभिनिर्धारित किया गया है कि यह विचारण के पूरा होने में अनुचित देरी के आधार पर अभियुक्त को जमानत देने में बाधा नहीं डालता है। यह अभिनिर्धारित किया गया है कि लंबे समय तक कैद में रखना आम तौर पर भारत का संविधान

अनुच्छेद 21 के तहत गारंटीकृत जीवन एवं स्वतंत्रता के अधिकार के प्रतिकूल है तथा इसलिए, सशर्त स्वतंत्रता को एनडीपीएस अधिनियम की धारा 37 के तहत वैधानिक प्रतिबंध को समाप्त करना चाहिए।

50. इसलिए वर्तमान मामले में, आवेदक इस आधार पर जमानत पर रिहा होने के भी हकदार हैं कि विचारण के जल्द ही समाप्त होने की संभावना नहीं है, जबकि आवेदक लंबे समय से अभिरक्षा में हैं।

51. मैं यह भी नोटिस करता हूं कि यह अभियोजन पक्ष का मामला नहीं है कि आवेदक समान प्रकृति के किसी अन्य मामले या अन्य आपराधिक मामलों में शामिल हैं। आवेदक युवा लड़के बताए जाते हैं और उनकी लंबे समय तक कैद के परिणामस्वरूप भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत गारंटीकृत जीवन और स्वतंत्रता के उनके मौलिक अधिकार से इनकार किया जा सकता है।

52. इसलिए, मामले की समग्र परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, यह निर्देश दिया जाता है कि आवेदकों, अर्थात् विश्वजीत सिंह और देव कुमार उर्फ गोलू को एनडीपीएस अधिनियम की धारा 20/61/85 के तहत थाना बदरपुर, दक्षिण-पूर्व जिला, नई दिल्ली में पंजीकृत प्राथमिकी सं. 564/2020 में जमानत पर रिहा किया जाए, प्रत्येक आवेदक विचारण न्यायालय की संतुष्टि के अध्याधीन 50,000/- रुपये की राशि के व्यक्तिगत बंधपत्र के साथ समान राशि का एक स्थानीय प्रतिभू प्रस्तुत करेगा, तथा इन अतिरिक्त निम्नलिखित शर्तों के अधीन:

i. आवेदक(ओं) विद्वान विचारण न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना देश नहीं छोड़ेगा।

ii. आवेदक(ओं) विद्वान विचारण न्यायालय को अपना स्थायी पता प्रदान करेगा। आवेदक(ओं) अपने आवासीय पते में किसी भी बदलाव के बारे में न्यायालय को एक शपथ पत्र के माध्यम से और आईओ को भी सूचित करेगा।

iii. जब भी मामला सुनवाई हेतु लिया जाएगा, आवेदक विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा।

iv. आवेदक को सभी/नवीनतम/नये मोबाइल नंबर संबंधित जांच अधिकारी को उपलब्ध कराने होंगे, जिन्हें आवेदक को हर समय चालू हालत में रखना होगा और उसे विद्वान विचारण न्यायालय एवं संबंधित जांच अधिकारी को पूर्व सूचना दिए बिना बंद या बदलना नहीं होगा। मोबाइल लोकेशन को हर समय चालू रखना होगा।

iv. आवेदक प्रत्येक 15 दिनों में संबंधित आईओ के समक्ष रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

vi. आवेदक किसी भी आपराधिक गतिविधि में लिप्त नहीं होगा तथा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अभियोजन पक्ष के किसी भी गवाह के साथ संवाद नहीं करेगा या संपर्क में नहीं आएगा। यदि आवेदक एनडीपीएस अधिनियम से संबंधित किसी भी मामले में शामिल पाया जाता है, तो अभियोजन पक्ष वर्तमान

मामले में भी उसकी जमानत रद्द करने के लिए एक उचित आवेदन दायर कर सकता है।

53. यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि मामले के गुणागुण पर की गई कोई भी टिप्पणी केवल जमानत देने के प्रश्न पर निर्णय लेने के लिए है तथा इसे मामले के गुणागुण पर अभिव्यक्ति के रूप में नहीं समझा जाएगा।

54. उपरोक्त परिस्थितियों में जमानत आवेदनों का निपटान किया जाता है।

55. इस निर्णय की प्रति जानकारी एवं आवश्यक अनुपालन हेतु जेल अधीक्षक को भेजी जाए।

नवीन चावला, न्या.

फरवरी 28,2024/आर्य/एएस

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : *देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्मेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा/ समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित मना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।*